OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; ... kithwaged. Dated: ... 8.711415

> Deputy Commissioner-cum-Chairman District Level Committee

परियोजना का नाम- टनकपुर-तवाघाट मो० मार्ग से रांथी मोटर मार्ग (लम्बाई 20.425 किं०मी०)

कार्यालय उपजिलाधिकारी, घारचूला अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, धारचूला

उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत टनकपुर-तवाघाट मो० मार्ग से रांधी मोटर मार्ग में (0.00 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम वनभूमि, 10.80 है0 वन पंचायत, 7.583 है0 नाप भूमि) 10. 80 है0 वनभूमि को जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री अर्जि अर्जि अर्जि पाउँ उपजिलाधिकारी अप्रमानीय वनाधिकारी उपप्रमानीय वनाधिकारी अर्ज्ज सदस्य अविव श्री अर्जि श्री अर्जि सहायक समाज कल्याण अधिकारी अर्जि सदस्य सविव माणा जिंह वीठडीठसीठ क्षेत्र उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि टनकपुर-तवाधाट मोठ मार्ग से रांथी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 10.80 हैंठ वनमूमि पीठएमठजीठएसठवाईठ, खण्ड लोठनिठिवठ, धारचूला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त मूमि का सम्बन्धित ग्राम समा हारा सर्वसम्पति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजिनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गर्न है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, धारचूला द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2000 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड धारचूला के अन्तर्गत टनकपुर—तवाघाट मो० मार्ग से रांथी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 10.80 हैं0 वनभूमि पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड लो०नि०वि० . धारचूला प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी के अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड र**हरी जिलाचिकारी** तहसील

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-

जनपद-

उप जिलाधिकारी

महावर्क समाज कल्पाण अधिकारी धारचूला-(पिधीरागढ़)

Spofonst

FORM-I Government of Uttrakhand

No: -

Date:-

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry Environment and Forest (MoEF), Government of India'S letter No:-11-9/98-EC (pt.) Dated 3rd August 2009 wherein the MoEF guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's Letter dated 5th February 23013 where in MoEF's issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that February 23013 where in MoEF issued certain relaxation in respect in favor of Rural Development Dept. Uttrakhand (Name of Agency) for struction of Tanakpur Tawaghat Motor Road to Rathi Motor Road under PMGSY purpose for diversion of forest land in Pithoragarh District falls within jurisdiction of Dharchula Tehsils. It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under FRA has been carried out for the entire 10.800 Hectares of forest area proposed for diversion .A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), gram Shaba(S).Sub-Divisions Level Committee and District Level Committee are enclosed.
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram Sabah's have given their consent to it.

 The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-Agricultural Communities.

(Full name of the official seal of the district Collector)

Sr.No		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 10.800 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), gram Shaba(S).Sub-Divisions Level Committee and District Level Committee are enclosed.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
_(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah have been given their consent to it.	Not Applicable as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villagers regarding construction of Tanakpur Tawaghat Motor Road to Rathi Motor Road
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre –agricultural communities.	

(Full name of the official seal of the district Collector)